प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 सितम्बर, 2022

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शारदा सिंह, निवासी जनपद-कुशीनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19077/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2022) दिनांक-14.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शारदा सिंह, जो ग्राम-सुदामा चक, थाना-हाटा, जनपद- जनपद-कुशीनगर का रहने वाला है। शारदा सिंह और विचारी सिंह वकील, सीताराम सिंह के बड़े भाई के बीच खेती की जमीन का विवाद चल रहा था जिसके कारण शारदा सिंह के बड़े भाई तूफानी सिंह की हत्या घटना से लगभग 15 मिनट पूर्व की गयी। इसी रंजिश में बंदी ने दिनांक 24/25.06.1994 को 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी कट्टा, बन्दूक, फरसा व लाठी से सीताराम सिंह के घर पर हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-184/1995, में भा0द0वि0 की धारा-147,302/149, 307/149, 452, 427 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-04, देवरिया के आदेश दिनांक 11.06.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-14.07.2003 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गयाहै। बन्दी द्वारा दिनांक 23.12.2021 तक 22 वर्ष, 00 माह, 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 06 माह, 11 दिन की सपरिहार भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर, द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के समयपूर्व रिहा होने पर पुन: तनाव होने तथा अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, रिहा होने पर अपराध करने की संभावना होने व समाज में गलत सन्देश जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में मौके पर अभी तनाव की स्थिति व्याप्त होने, समयपूर्व रिहा होने पर पुन: तनाव होने तथा अपराध करने की सम्भवना से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, समयपूर्व रिहा होने पर अपराध करने की सम्भावना होने व समाज में गलत सन्देश जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड का अभिमत है कि जमीन का विवाद में तूफानी सिंह की हत्या की रंजिश में 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी कट्टा, बन्दूक, फरसा व लाठी से 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, समयपूर्व रिहा होने पर अपराध करने की संभावना होने व समाज में गलत सन्देश जाने की आख्या अंकित की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शारदा सिंह सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-333/2021 सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2022 से आच्छादित प्रकरण में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र सिंह (बन्दी संख्या-15588) पुत्र श्री शारदा सिंह, निवासी जनपद-कुशीनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-141/2022/1679(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-141/2022/1679/22-2-2022-17(487)/2021
दिनांक 13 सितम्बर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शारदा सिंह, जो ग्राम-सुदामा चक, थाना-हाटा, जनपद- जनपद-कुशीनगर का रहने वाला है। शारदा सिंह और विचारी सिंह वकील, सीताराम सिंह के बड़े भाई के बीच खेती की जमीन का विवाद चल रहा था जिसके कारण शारदा सिंह के बड़े भाई तूफानी सिंह की हत्या घटना से लगभग 15 मिनट पूर्व की गयी। इसी रंजिश में बंदी ने दिनांक 24/25.06.1994 को 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी कट्टा, बन्दूक, फरसा व लाठी से सीताराम सिंह के घर पर हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-184/1995, में भा0द0वि0 की धारा-147,302/149, 307/149, 452, 427 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-04, देवरिया के आदेश दिनांक 11.06.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-14.07.2003 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गयाहै। बन्दी द्वारा दिनांक 23.12.2021 तक 22 वर्ष, 00 माह, 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 06 माह, 11 दिन की सपरिहार भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर, द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के समयपूर्व रिहा होने पर पुन: तनाव होने तथा अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, रिहा होने पर अपराध करने की संभावना होने व समाज में गलत सन्देश जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में मौके पर अभी तनाव की स्थिति व्याप्त होने, समयपूर्व रिहा होने पर पुन: तनाव होने तथा अपराध करने की सम्भवना से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, समयपूर्व रिहा होने पर अपराध करने की सम्भावना होने व समाज में गलत सन्देश जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड का अभिमत है कि जमीन का विवाद में तूफानी सिंह की हत्या की रंजिश में 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी कट्टा, बन्दूक, फरसा व लाठी से 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, समयपूर्व रिहा होने पर अपराध करने की संभावना होने व समाज में गलत सन्देश जाने की आख्या अंकित की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शारदा सिंह सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।